विद्यालयों की मान्यता दिये जाने सम्बन्धी संशोधित मानक एवं शर्तें

संख्या–418/79-6-2013-18एस (7)/89

प्रेषक

सुनील कुमार
प्रमुख सचिव,
उ.प्र. शासन।
शिक्षा अनुभाग–6

सेवा में,

शिक्षा निदेशक (बेसिक)
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक : 08 मई, 2013

विषय : अशासकीय नर्सरी/प्राथमिक (प्राइमरी)/उच्च प्राथमिक (जूनियर हाईस्कूल) हिन्दी माध्यम के विद्यालयों की मान्यता दिये जाने सम्बन्धी संशोधित मानक एवं शर्तें।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-442/79-6-2011 दिनांक 19 मई, 2011 एवं आपके पत्र दिनांक 05-12-2012, दिनांक 12-02-2013 एवं दिनांक 30-04-2013 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 एवं तदनुक्रम में राज्य सरकार द्वारा पारित शिक्षा का अधिकार नियमावली–2001 में विहित प्राविधानों तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर मा. उच्चतम् न्यायालय एवं मा. उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को दृष्टिगत् रखते हुए सम्यक विचारोपरान्त पूर्व में उक्त विद्यालायों की मान्यता सम्बन्धी नियमावली एवं विभागीय निर्देशों को अतिक्रमित करते हुए श्री राज्यपाल हिन्दी माध्यम से शिक्षा देने वाले अशासकीय नर्सरी/प्राथमिक (प्राइमरी)/उच्च प्राथमिक विद्यालय (जूनियर हाईस्कूल) की अस्थायी नर्सरी/प्राथमिक (प्राइमरी)/उच्च प्राथमिक विद्यालय (जूनियर हाईस्कूल) की अस्थायी/स्थायी मान्यता प्रदान किये जाने हेतु निम्नलिखित मानकों एवं शर्तों के निर्धारण की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

(1) इस आदेश के निर्गत होने के उपरान्त मानक एवं शर्तों को पूर्ण करने वाले विद्यालयों को ही मान्यता प्रदान की जायेगी।

(2) पूर्व से मान्यता प्राप्त विद्यालय भी इन संशोधित मानक/शर्तों को उ.प्र. निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली–2011 लागू होने की तिथि से 03 वर्ष में अपने आर्थिक स्रोतों से पूरा करने हेतु आवश्यक कदम उठायेंगे अन्यथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्रत्याहित करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। मान्यता प्रत्याहरण के उपरान्त इस प्रकार का विद्यालय किसी भी दशा में संचालित नहीं किया जायेगा।

(3) विद्यालय में अग्नि शमनयंत्र मानक के अनुसार स्थापित कराया जाना होगा।

(4) विद्यालयों में ज्वलनशील एवं जहरीले पदार्थ छात्र/अध्यापक की पहुँच से दूर सुरक्षित रखने की व्यवस्था की जाय तथा उसका प्रयोग प्रशिक्षित अध्यापकों/कर्मचारियों द्वारा ही किया जाय।

(5) विद्यालय प्रबन्धतंत्र द्वारा विद्यालय भवन की मजबूती के सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारी/अभियन्ता से भवन नेशनल बिल्डिंग कोड के मानकों के अनुरूप होने का प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जायेगा तथा समय-समय पर समीक्षा के अन्तर्गत भी भवन की सुरक्षा का प्रमाण–पत्र प्रबन्धतंत्र को प्रस्तुत करना होगा। विद्यालय भवन की सुरक्षा एवं रक्ष–रखाव का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धतंत्र का होगा। प्राथमिक विद्यालय में नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुरूप भवन की गुणवत्ता के संबंध में लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, नगर विकास विभाग एवं आर.ई.एस. के जिस अभियन्ता द्वारा निरीक्षण किया जायेगा उनका विवरण निम्नवत है–

(ख) निर्धारित अवधि में यदि विद्यालय का स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है अथवा प्राप्त स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं होता है तो सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आगामी 07 दिन की अवधि में एक त्रिस्तरीय समिति, जिसमें शासकीय प्रतिनिधियों के साथ एक शिक्षाविद भी सम्मिलित होगा, के द्वारा विद्यालय का निरीक्षण कराया जायेगा। समिति विद्यालय की जाँच कर, विद्यालय की मान्यता जारी रखने या समाप्त करने की संस्तुति के साथ अपनी आख्या निरीक्षण तिथि के एक (01) माह की अवधि में सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करेगी। उपरोक्त समिति का गठन जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा एवं जिलाधिकारी को समिति के सदस्यों को परिवर्तित करने का अधिकार होगा।

(ग) समिति की आख्या के आधार पर सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी 15 दिन के अन्दर सम्बन्धित विद्यालय को पत्र भेजकर उन्हें अपना स्पष्टीकरण देने हेतु 30 दिन का अवसर देगा एवं प्राप्त स्पष्टीकरण का परीक्षण करके अथवा स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की स्थिति में अभिलेखों के आधार पर सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मान्यता प्रत्याहरण के सम्बन्ध में 45 के अन्दर मान्यता समिति का निर्णय प्राप्त कर लेंगे।

(घ) मान्यता समिति के निर्णय प्राप्ति के सात दिन के अन्दर विद्यालय को प्रदत्त मान्यता रद्द करने का मुखरित आदेश (speading order) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्गत किया जायेगा। मान्यता रद्द होने का आदेश तत्काल अनुवर्ती शैक्षिक सत्र में लागू होगा तथा उक्त आदेश में ही उन पड़ोसी विद्यालयों के नाम भी इंगित किये जायेंगे जहाँ मान्यता प्रत्यारहित विद्यालयों के बच्चों को नामांकित कराया जायेगा। उक्त आदेश को सम्बन्धित स्थानीय प्राधिकारी को भी अवगत कराया जायेगा तथा सर्व साधारण की जानकारी हेतु स्थानीय एवं राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित की जायेगी तथा इसे वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जायेगा।

(13) प्रथमतया निर्धारित प्रारूप पर नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपबन्धिक मान्यता तीन वर्ष के लिए दी जायेगी। इस अवधि में मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो नीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है।

कृपया मान्यता के उक्त नियमों/शर्तों से सम्बन्धित अधिकारियों को अगवत कराते हुए मान्यता प्रदान किये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक यथोक्त

भवदीय

(सुनील कुमार)

प्रमुख सचिव।

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, आगरा ।

पत्रांक / मान्यता / अं0मा0 / 14797–803 / 2017–18 दिनांक 01.01.2018

सेवा में,

प्रबन्धक,
लार्ड कृष्णा पब्लिक स्कूल, यूनिट–2
रायभा, रूनकता बाई पास रोड–आगरा ।

विषय :– निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम–15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए **अंग्रेजी माध्यम का मान्यता** प्रमाण पत्र ।

महोदय / महोदया,

आपके दिनांक 19.07.2017 के आवेदन–**लार्ड कृष्णा पब्लिक स्कूल यूनि–2, रायभा, रूनकता बाई पास रोड–आगरा** (विद्यालय का नाम, पते सहित) को दिनांक **01.04.2018 से दिनांक 31.03.2021** तक तीन वर्ष की अवधि के लिए **कक्षा–नर्सरी से कक्षा आठ तक** के लिए अनंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तो के पूरा किए जाने के अध्याधीन है :–

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा के पश्चात मान्यता / सबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम,2009 (उपाबंध–1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपाबंध–2) के उपबंधो का पालन करेगा ।
3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथा स्थिति, नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस–पड़ोस के कमजोर वर्गो और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हे निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा ।
4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधो के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियॉ प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा ।
5. सोसाइटी / विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नही करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रकिया के अध्यधीन नहीं करेगा ।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा । विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेंगा–

    1. प्रवेश दिए गये किसी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नही किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा ।
    2. किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जायेगा ।

3. प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षाा नहीं की जाएगी।
4. प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाएगा ।
5. अधिनियम के उपबंध के अनसुार निःशक्तता प्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना ।
6. अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम् अर्हताओं के साथ की जाती है, परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम् अर्हताएं नहीं है, पॉच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम् अर्हताएं अर्जित करेंगे।
7. अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करत हैः और
8. अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापक कियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेंगा ।
8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा । अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएँ निम्नानुसार है:–

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल – 6842 वर्ग मीटर
कुल निर्मित क्षेत्र – 1426 वर्ग मीटर
कीड़ा–स्थल का क्षेत्रफल – हॉ
कक्षाओं की संख्या –12
प्राध्यापक–सह–कार्यालय–सह भांडागार के लिए कक्ष –03
बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय–02–02
पेयजल सुविधा – हॉ, समर सेबिल द्वारा
मिड–डे–मील पकाने के लिए रसोई– –
बाधारहित पहुंच – हॉ, डामर रोड
अध्यापक पठन सामग्री/कीड़ा खेलकूदउपस्करों/ पुस्तकालय की उपलब्धता–हॉ

9. विद्यालय के परिसरो के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर–मान्यता प्राप्त कक्षाएं नही चलाई जाएंगी ।
10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या कीड़ा–स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
12. स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
13. विद्यालय के लेखों की किसी चार्टड आकाउण्टेन्ट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के

अनुसार तैयार किए जाने चाहिए । प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए ।

14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या (**14797–803**) है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्या का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है, जो समय–समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और संमुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता संबंधी शर्तो के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं ।
16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।
17. प्रत्येक कक्षानुभाग में प्रति छात्र 09 वर्ग फीट की दर से स्थान उपलब्ध होगा। प्रत्येक कक्षा–कक्ष में कम से कम 20 बच्चों के बैठने की व्यवस्था अनिवार्य रूप से होगी । यदि कक्षा–कक्ष माप के अनुसार बच्चों का प्रवेश नहीं किया जाएगा अर्थात् अधिक बच्चे प्रवेश किए जायेगें तो मान्यता प्रत्याहरण की कार्यवाही की जाएगी।
18. संलग्न उपबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त ।

भवदीय

(अर्चना गुप्ता)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
आगरा

पृ0सं0/मान्यता/अं0मा0/14797–803/2017–18 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नॉकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0 निशातगंज–लखनऊ ।
2–सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद ।
3–अपर शिक्षा निदेशक(बेसिक), शिक्षा निदेशालय उ0प्र0 इलाहाबाद ।
4–मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक), आगरा ।
5–जिला समाज कल्याण अधिकारी, आगरा ।
6–संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी (ग्रामीण/नगर) जनपद आगरा ।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
आगरा